न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी रोहित कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 112/2020

तहसीलदार पचपदरा बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांक :– 3.09.2020

पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम 1956 के तहत परस्तुत किया कि जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कलावा की जमाबंदी संवत 2012–15 में खाता संख्या 1 खसरा संख्या 39 में बिला कब्जा गैर मुमकिन दर्ज था जमाबदी सवंत 2017–2020 में उक्त खाता व खसरा संख्या में सरकारी जमीनें (खाता मिलिकियत) जमीनें जो खेती के लिए उपलब्ध नही है बि.क.गै.मु केवल चराई योग्य जमीने, झाडी वाले जंगल, धोरा दर्ज किया हुआ था । जो कि जमाबंदी संवत 2017–2020 से लेकर जमाबंदी संवत 2049–2052 तक दर्ज किया हुआ है। जमाबंदी संवत 2061–64 की तहरीर करते वक्त उक्त खाते में झाड झखाड वाले वन (चारागाह हेतु) सहवन से गलत दर्ज हुआ था। जबकि जमाबंदी संवत 2012–15 के अनुसार उक्त खाते में बिला कब्जा गैर मुमकिन दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया है। अतः ग्राम कलावा की जमाबंदी सवंत 2012–15 में खाता संख्या 1 खसरा संख्या 39 में की बिला कब्जा गैर मुमकिन इन्द्राज दुरूस्त करने के आदेश फरमाया जाए।

[illegible]
(S.D.O.) बालोतरा

उपस्थित सरकारी पैरोकार को सुना। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। बाद गौर ग्राम कलावा के जमाबंदी वर्ष सवंत 2012–2015..में खाता संख्या –1 के खसरा सं. 39 में बिला कब्जा गैर मुमकिन दर्ज है। व जमाबंदी सवंत 2017 –2020 मे चराई योग्य जमीने झाडी वाले जंगल धोरा दर्ज है। जमाबंदी 2021–2024, 2024–2028, 2029–2032, में कृषि अयोग्य भूमि चराई

....2..लगातार

Scanned by CamScanner

योग्य भूमि, झाडी वाले जंगल, धोरा दर्ज है। जमाबंदी सवंत 2033–2036, 2036–2039, 2041–44, 2045–2048, 2049–2052 मे धोरा दर्ज किया हुआ है। 2053–2056 मे झाडी वाले जंगल औरण धोरा दर्ज है। जमाबंदी सवंत ,2057–2060 मे धोरा व जमाबंदी सवंत 2061–2064, 2065–68 झाड झंखाड वाले वन (चरागाई हेतु) दर्ज किया गया है। जमाबंदी संवत 2061–64 की तहरीर करते वक्त उक्त खाते में झाड झखाड वाले वन (चारागाह हेतु) सहवन से गलत दर्ज हुआ था। वर्तमान में लिपिकीय त्रुटिवंश बि.क.गै.मु केवल चराई योग्य जमीने, झाडी वाले जंगल, धोरा दर्ज है, जो गलत है। जिसे दुरूस्त करना न्यायोचित प्रतित होने से तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित प्रतित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कलावा के खाता संख्या 1 खसरा संख्या 39 में दर्ज गलत प्रविष्टी बिला कब्जा गैर मुमकीन केवल चराई योग्य जमीने, झाडी वाले जंगल, धोरा के स्थान पर रेकर्ड़ दुरस्त कर जमाबंदी वर्ष सवंत 2012–15 के अनुसार बिला कब्जा गैर मुमकिन दर्ज करने के आदेश दिये जाते है तथा इस प्रकार दुरस्ती की प्रविष्टिया राजस्व रेकर्ड़ में अमल दरामद हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश खुले न्यायालय मे दिनांक 03.09.2020 को सुनाया गया ।

(रोहित कुमार)

भू–अभि... बालोतरा

(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner